62

# तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान

## शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

## लोक लेखा समिति
(2022-23)

## बासठवां प्रतिवेदन

---

## सत्रहवीं लोक सभा

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं.2291

# बासठवां प्रतिवेदन

## लोक लेखा समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

## तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान

## शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

सत्यमेव जयते

*.............. को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।*

*.............. को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।*

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अप्रैल, 2023/ चैत्र, 1945(शक)

## विषय-सूची

पृष्ठ


लोक लेखा समिति (2022-23) की संरचना

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक की संरचना

प्राक्कथन

**प्रतिवेदन**

**भाग- एक**

| | | |
|---|---|---|
| एक | **प्रस्तावना** | |
| दो | **आईआईटी – आईआईटी, खड़गपुर और आईआईटी, गुवाहाटी** | |
| तीन | **आईआईएम- आईआईएम, लखनऊ और आईआईएम, काशीपुर** | |
| चार | **केन्द्रीय विश्वविद्यालय: - बीबीएयू, बीएचयू, एएमयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय** | |
| पांच | **एमएनएनआईटी, इलाहाबाद और आईआईईएसटी, शिवपुर** | |
| | **भाग – दो** | |
| | **टिप्पणियां/सिफारिशें** | |
| | **परिशिष्ट*** | |
| I | लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की 21 फ़रवरी, 2022 को हुई पहली बैठक का कार्यवाही सारांश। | |
| II | लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की 29 अप्रैल, 2022 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश | |


* संलग्न नहीं

## लोक लेखा समिति की संरचना

(2022-23)

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. श्री वि. विजयसाई रेड्डी *
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

सचिवालय

1. श्री टी.जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजू कुकरेजा - उप सचिव

---

*श्री वि. विजयसाई रेड्डी दिनांक 13.12.2022 से निर्वाचित हुए।

<u>लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की संरचना</u>

| | | |
|---|---|---|
| **सभापति** | - | **श्री अधीर रंजन चौधरी** |
| **संयोजक** | - | **श्री शक्तिसिंह गोहिल** |
| **सदस्य** | - | श्री टी.आर. बालू |
| | | श्री सुधीर गुप्ता |
| | | श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी |
| | | श्री राहुल रमेश शेवाले |

## प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर **"तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान"** विषयक यह बासठवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक लेखा समिति (2021-22) (17वीं लोक सभा) द्वारा उप-समिति-एक (सिविल) का गठन **"तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान"** विषय की विस्तार से जाँच करने के लिए किया गया था। उप-समिति-एक ने इस विषय को विस्तृत जांच करने और उस पर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु लिया था।

3. लोक लेखा समिति )2021-22) की उपसमिति--एक (सिविल **"तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान"** ने ( विषय के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया और दिनांक 21.02.2022 और 29.04.2022 को आयोजित समिति की बैठकों में इस विषय की जांच की। समय की कमी के कारण, इस विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके बाद, यह विषय अगली पीएसी )2022-23) को सौपा गया। लोक लेखा समिति )2022-23) ने 28 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक के दौरान प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।। उप मुख्य समिति की/समिति-बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन में परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं।

4. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को **मोटे** अक्षरों में मुद्रित किया गया है और यह प्रतिवेदन का भाग-दो है।

5. समिति इस विषय पर संबंधित मंत्रालय का मौखिक साक्ष्य लेने और जानकारी प्राप्त करने के लिए उप-समिति-एक (सिविल) को धन्यवाद देती है।

6. समिति शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देती है।

7. समिति, समिति सचिवालय तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उन्हें इस विषय में प्रदान की गई सहायता की भी सराहना करती है।

**नई दिल्ली;**
**03 अप्रैल, 2023**
**13 चैत्र, 1945 (शक)**

**अधीर रंजन चौधरी**
**सभापति,**
**लोक लेखा समिति**

## प्रतिवेदन

## भाग - एक

**प्रस्तावना**

यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा 8.1 पर आधारित "तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान" विषय से संबंधित है।

2. वित्त मंत्रालय (एमओएफ), व्यय विभाग, ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान करने के लिए कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया है। केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) को यह तदर्थ बोनस प्रदान करने के आदेश प्रत्येक वर्ष अलग से जारी किए जाते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने के लिए ओएम 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के लिए जारी किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस देने के आदेश जारी किए। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।इसके बावजूद, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 सीएबी ने वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अपने कर्मचारियों को 15.87 करोड़ रुपये का तदर्थ बोनस अदा किया था (उच्चतर शिक्षा विभाग 11 सीएबी को 15.28 करोड़ रुपये, स्कूल शिक्षा विभाग 1 सीएबी को 0.32 करोड़ रुपये और संस्कृति मंत्रालय 1 सीएबी को 0.38 करोड़ रुपये)। यह वित्त मंत्रालय के अपेक्षित आदेशों के बिना किया गया था।

3. उपर्युक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में सहमति व्यक्त की कि लेखा परीक्षा ने अनियमितता को सही ढंग से इंगित किया है। इसके अलावा, भविष्य में इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों के बारे में पूछे जाने पर, एमओई ने निम्नवत बताया:

"मंत्रालय के स्तर पर, सख्त अनुपालन के लिए आईएफडी के दिनांक 20.01.2017 के नोट के माध्यम से इस मंत्रालय के अधीन दोनों विभागों में सभी ब्यूरो प्रमुख को अनुदेश भेजे गए थे जिनके साथ वर्ष 2015-16 से सीएबी के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस जारी न करने के लिए व्यय विभाग का दिनांक 09.01.2017 का का. ज्ञा. संलग्न था।"

4. भुगतान किए गए तदर्थ बोनस की राशि की वसूली के लिए 13 सीएबी द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण पूछे जाने पर, शिक्षा मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत बताया:-

<u>आईआईटी - आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी</u>

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय 2014-15 तक पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ- साथ स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को गैर उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के आदेश जारी करता रहा है। यद्यपि व्यय विभाग ने वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के आदेश जारी किए परंतु इसको स्वायत्त निकायों को नहीं दिया गया। प्रचलित परिपाटी के अनुसार जब कभी व्यय विभाग स्वायत्त निकायों के संबंध में तदर्थ बोनस के लिए आदेश जारी करता है तो शिक्षा मंत्रालय इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए आईआईटी, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान हैं, को अग्रेषित करता है।

चूंकि, व्यय विभाग ने वर्ष 2015-16 से गैर उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के भुगतान के लिए आदेश जारी नहीं किए थे, अधिकांश आईआईटी ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए बोनस का भुगतान को आदेश देने का अनुरोध करते हुए इस मंत्रालय से संपर्क किया। इस मंत्रालय ने दिनांक 03:11.2017 के का. ज्ञा. द्वारा इस मामले को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया था। इसके उत्तर में, *डीओई, एमओएफ ने दिनांक 25.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया था कि माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया था कि पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में लेखा वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए तदर्थ बोनस के भुगतान के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे।* तदनुसार दिनांक 03.10.2018 के पत्र द्वारा उपरोक्त स्थिति से सभी आईआईटी को अवगत कराया गया था। वर्तमान में, व्यय विभाग केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू तदर्थ बोनस आदेश को केंद्रीय स्वायत निकायों के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं करता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी ने हालांकि कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में क्रमश: 164.95 लाख रुपये और 48.49 लाख रुपये का भुगतान किया था। इस प्रभाग द्वारा इन दोनों संस्थानों के साथ यह मामला उठाया गया था। आईआईटी गुवाहाटी ने दिनांक 8-12-2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि 04.09.2020 को आयोजित अपनी 104 वीं बैठक के दौरान संस्थान के शासी मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, 2020 के नवंबर माह से कर्मचारियों के वेतन से बोनस राशि की वसूली शुरू कर दी गई है। आईआईटी खड़गपुर ने दिनांक 28-5-2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संस्थान ने लेखा वर्ष

2015- 2016, 2016-2017 और 2017-2018 के दौरान समूह बी, सी और डी कर्मचारियों को भुगतान किए गए गैर-उत्पादकता संबद्ध (तदर्थ) बोनस की वसूली की प्रक्रिया आसान किश्तों में शुरू कर दी है।

उपरोक्त दो आईआईटी ने वसूली की निम्नलिखित नवीनतम स्थिति के बारे में सूचित किया है -

| संस्थान | वितरित किए गए तदर्थ बोनस की राशि | वसूल किए गए तदर्थ बोनस की राशि | वसूल की जाने वाली शेष राशि |
|---|---|---|---|
| आईआईटी खड़गपुर | ₹1,72,10,687 | ₹ 50,06,099 | ₹1,22,04,588 |
| आईआईटी गुवाहाटी | ₹ 48.77 लाख | ₹47.64 लाख | ₹1.13 लाख |

<u>आईआईएम- आईआईएम लखनऊ और आईआईएम, काशीपुर</u>

मंत्रालय ने आईआईएम-लखनऊ और आईआईएम-काशीपुर को दिनांक 15.06.2021 के पत्र. सं. 21-28/2021- टीएस. वी. के द्वारा इन विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया था। संस्थान ने संबंधित कर्मचारियों से तदर्थ बोनस की वसूली निम्नवत शुरू की:-

(एक) आईआईएम-लखनऊ - तदर्थ बोनस के 18.77 लाख रुपये के अनियमित भुगतान में से, 18.74 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और शेष 0.03

लाख रुपये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से वसूल नहीं किए जा सके, जिन्होंने अधिवर्षिता की आयु यानी 60 साल होने पर संस्थान छोड़ दिया है।

(दो) आईआईएम-काशीपुर - 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 4.73 लाख रुपये की तदर्थ बोनस राशि की वसूली जुलाई 2021 के महीने से शुरू की गई है और 69,568 रुपये शेष हैं। इसे मई 2022 और जून 2022 के वेतन से वसूल किया जाएगा।

<u>केन्द्रीय विश्वविद्यालय: - बीबीएयू, बीएचयू, एएमयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय</u>

चूंकि वित्त मंत्रालय का आदेश सीएबीज़ पर लागू नहीं था, इसलिए मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को कर्मचारियों को दिए गए तदर्थ बोनस की वसूली करने की सलाह दी थी।

<u>एमएनएनआईटी, इलाहाबाद और आईआईईएसटी, शिवपुर</u>

मंत्रालय ने अपने दिनांक 17.10.2018 के पत्र संख्या 4-12/2017-टीएस तीन के माध्यम से सभी एनआईटी और आईआईईएसटी-शिवपुर को एनआईटीएसईआर अधिनियम के प्रावधानों, सांविधियों, जीएफआर, सीवीसी अनुदेशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो का सख्ती से और ईमानदारी से अनुपालन करने की सलाह दी थी। साथ ही संस्थानों को भविष्य में इस प्रकार की प्रक्रियात्मक खामियों को न दोहराने के भी निर्देश दिए गए थे।

(ख) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"वित्त मंत्रालय द्वारा 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए सीएबी को तदर्थ बोनस के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। अतः, शिक्षा मंत्रालय ने एनआईओएस को दिनांक 23 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या एफ.15-43/2021-एससीएच.3 द्वारा तदर्थ बोनस की वसूली करने का निर्देश दिया है।"

(ग) द एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने निम्नवत बताया:

"एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (एएसके) एक स्वायत्त निकाय है जो पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता को संसद के अधिनियम - एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। संस्कृति मंत्रालय लेखापरीक्षा के इन निष्कर्षों से सहमत है कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता द्वारा अपने कर्मचारियों को 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के लिए तदर्थ बोनस का भुगतान अनियमित है और भारत सरकार के विशेष अनुमोदन के बिना दिया गया है।

इस मामले पर ऑडिट पैरा में टिप्पणियां नवंबर 2020 में मंत्रालय को प्राप्त हुई थीं। इसके बाद से संस्कृति मंत्रालय क्रमशः 25.11. 2020, 24.02.2021, 26.03.2021, 08.07.2021 और 20.12.2021 के पत्रों/ई-मेल के माध्यम से इस मामले को निरंतर एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के साथ उठाता रहा है। इसके परिणामस्वरूप, एएसके ने दिनांक 22.02.2022 के अपने की गई कार्रवाई टिप्पण पत्र माध्यम से बताया कि बोनस का वित्त वर्ष 2021-22 [वर्ष 2020-21 के लिए बोनस] भुगतान रोक दिया गया है और अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है। चूंकि, एएसके द्वारा कोई वसूली नहीं की गई थी, इसलिए इस मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2022 के पत्र के माध्यम से एएसके से वित्त मंत्रालय के किसी विशिष्ट आदेश/निर्देशों के बिना अपने

कर्मचारियों को भुगतान किए गए बोनस की वसूली शुरू करने और मंत्रालय को एक की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके बाद दिनांक 06.04.2022 और 22.04.2022 को अनुस्मारक भेजे गए।

इसके उत्तर में, एएसके ने दिनांक 22.04.2022 के अपने पत्र के माध्यम से इस मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह उनके कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लिए पहले ही भुगतान किए जा चुके बोनस को वापस न लिया जाए इस अनुरोध के समर्थन में कोई नया कारण/औचित्य नहीं बताया गया है। एएसके के दिनांक 22.04.2022 के अनुरोध की मंत्रालय में जांच की गई और 02.05.2022 को एक बार फिर एएसके से अनुरोध किया गया कि वो एएसके के कर्मचारियों को भुगतान किए गए बोनस की वसूली का मामला निपटाने के बाद इस लंबित लेखापरीक्षा पैरा के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करें।"

5. यह पूछे जाने पर कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किसी भी आदेश के बिना सीएबी ने किस प्राधिकार के तहत अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस प्रदान किया, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने निम्नवत बताया:

(क) उच्चतर शिक्षा विभाग ने निम्नवत बताया:

"सीएबी के कर्मचारियों को उक्त अवधि के लिए तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्र सरकार/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने के लिए व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पिछले कार्यालय ज्ञापनों के अनुरूप किया गया था।"

**(ख)** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के संबंध में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निम्नवत बताया:

"एनआईओएस के सेवा नियम 1994 के अनुसार, एनआईओएस के पास केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस देने की योजना होगी। तदनुसार एनआईओएस के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान उसी प्रकार किया गया जैसे 2014-2015 तक सचिव एनआईओएस के अनुमोदन के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर किया जा रहा था। तथापि, वित्त मंत्रालय ने 2015-16 से स्वायत्त निकायों के संबंध में अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया और न ही शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोई निर्देश दिया या इस संबंध के एनआईओएस को कोई अनुमादन दिया।"

**(ग)** इसके अलावा, इस मामले पर एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया है:

"द एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (एएसके)द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के तदर्थ बोनस का भुगतान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के वर्ष 2014 तक के कार्यालय ज्ञापनों का संदर्भ लेते हुए तथा इन आधारों को ध्यान में रखते हुए किया गया कि एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के ही बराबर हैं, इस बात पर विचार नहीं किया कि सीएबी के कर्मचारियों को 2015-16 से बोनस का भुगतान करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी तरह के अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। एशियाटिक सोसाइटी के विनियम 4 के अनुसार, सोसाइटी का प्रशासन, निर्देशन और प्रबंधन कार्य परिषद को सौंपा गया है। इसके अलावा, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के विनियम 43 के अनुसार, महासचिव, एएसके, सोसाइटी के कर्मचारियों और मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण करते हैं। महासचिव सोसाइटी के सभी भुगतानों/व्यय को मंजूरी देते हैं। एएसके

के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान को एएसके के महासचिव द्वारा अनुमोदित किया गया था।"

6. यह देखते हुए कि सीएबी को अपने कर्मचारियों को कोई भुगतान/मंजूरी देने से पहले शिक्षा मंत्रालय और/या वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति लेनी चाहिए थी, समिति ने ऐसा नहीं करने के कारणों को जानना चाहा। इसके उत्तर में, उच्चतर शिक्षा विभाग, एनआईओएस और एएसके ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत बताया:

"(क) सभी सीएबी को विभिन्न वस्तु शीर्षों अर्थात ओएच-31, ओएच-35 और ओएच-36 के तहत ब्लॉक अनुदान प्रदान किया जाता है। हालांकि, भुगतान के दौरान, सीएबी को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अपनी वित्त समिति शासी मंडल या सक्षम प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन लेने और साथ ही एमओई और एमओएफ द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग: एनआईओएस के सेवा नियम 1994 के अनुसार, एनआईओएस के पास केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस देने की योजना होगी। तदनुसार एनआईओएस के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान उसी प्रकार किया गया जैसे 2014-2015 तक सचिव एनआईओएस के अनुमोदन के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर किया जा रहा था। तथापि, वित्त मंत्रालय ने 2015-16 से स्वायत्त निकायों के संबंध में कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया और न ही शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोई निर्देश दिया अथवा एनआईओएस को कोई अनुमोदन दिया ।

(ग) संस्कृति मंत्रालय: एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने बताया कि स्थायी वित्त समिति का सचिव एक पूर्णकालिक अधिकारी होता है

जिसे नियंत्रक कहा जाता है। सीएबी के पास दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक/वित्तीय मामलों जैसे भुगतान, मंजूरी आदि के निपटान के लिए अपना तंत्र है। हालांकि, जिन वित्तीय मामलों से सहायता अनुदान के अनुमान प्रभावित होते हैं, उनके अनुमोदन हेतु उन्हें मंत्रालय से अनुरोध करने की आवश्यकता होती है।"

7. यह पूछे जाने पर कि क्या एमओई आईआईएम-कोलकाता और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के कथन से सहमत है कि वे केवल भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करते हैं और वे न तो आंशिक रूप से और न ही पूर्व रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, उच्चतर शिक्षा विभाग से यथाप्राप्त लिखित उत्तर निम्नवत हैं:

"**(क)** उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया कि हम इस बात से सहमत है कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आईआईएम-कोलकाता और एनआईओएस को निधियों का संवितरण नहीं किया जा रहा है। हालांकि, उनके द्वारा भारत सरकार के नियमों का पालन किया जाना अपेक्षित है, और जब भी वे विफल होते हैं, तो इसे एमओई/सीएजी द्वारा इंगित किया जाता है।

**(ख)** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया कि एनआईओएस न तो आंशिक रूप से और न ही पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसके अपने नियम हैं जो भारत सरकार के नियमों के अनुरूप होने चाहिए।"

8. संबंधित मंत्रालयों/सीएबी द्वारा इस प्रकार की अनियमित भुगतान की वसूली करने के लिए अपनी की गई कार्रवाई के बारे में समिति को बताते हुए शिक्षा मंत्रालय/सीएबी ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"**(क)** उच्चतर शिक्षा विभाग: संबंधित कर्मचारियों से इस प्रकार अनियमित भुगतान की वसूली करने का प्रस्ताव की गई कार्रवाई टिप्पण में किया गया

था। तदनुसार, उक्त सभी सीएबी ने पहले ही वसूली करना शुरू कर दिया है। लेखापरीक्षा पैरा में उल्लिखित इस विभाग के अंतर्गत आने वाले 11 सीएबी के कर्मचारियों को किए गए 15.28 करोड़ रुपये के अनियमित भुगतान में से अब तक 14.03 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। 1.24 करोड़ रुपये की शेष राशि की वसूली की प्रक्रिया भी जारी है।

(ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग: एनआईओएस द्वारा दिसंबर 2021 से एनआईओएस के कर्मचारी से वसूली शुरू कर दी गई है। राशि 20 समान किश्तों में और शेष अंतिम किस्त में वसूल की जाएगी। तथापि, डीओपीटी के दिनांक 02.03.2016 के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों से वसूली की अनुमति नहीं है:-

1.समूह "ग" और समूह घ से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों या ऐसे कर्मचारियों से जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
3. कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।
4. किसी भी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगा, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से अधिक होगा।

(ग) संस्कृति मंत्रालय ने क्रमश: दिनांक 25.11.2020 24.02.2021 26.03.2021, 08.07.2021, 20.12.2021, 06.04.2022, और 22.04.2022, के पत्रों/ई-मेल के द्वारा एएसके को अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के आगे के भुगतान को रोकने और 2015-16 से 2019-20 के वर्षों के लिए पहले से किए गए तदर्थ बोनस के अनियमित

भुगतान की वसूली करने तथा मंत्रालय को एक की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया है। एएसके ने वर्ष 2020-21 के तदर्थ बोनस का आगे का भुगतान रोक दिया है। हालांकि अभी तक वसूली (रिकवरी) शुरू नहीं हुई है। तदनुसार, संस्कृति मंत्रालय इस मामले को एएसके के समक्ष सख्ती से उठा रहा है।"

9. यह पूछे जाने पर कि क्या शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लिए अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए सीएबी के संबंध में कोई आदेश जारी न करने के संबंध में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है, शिक्षा मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दियाः

"**(क)** उच्चतर शिक्षा विभाग ने विस्तार से बताया कि व्यय विभाग से प्राप्त दिनांक 09.01.2017 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर, इस मंत्रालय के अंतर्गत दोनों विभागों के सभी ब्यूरो प्रमुखों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीएबी को सलाह दें कि वे 2015-16 से कोई तदर्थ बोनस जारी न करें और आगे सलाह दी गई है कि यदि ऐसे किसी तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाता है तो वसूली करें। इसके अतिरिक्त, सीएबी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर टीईएल ब्यूरो ने इस संबंध में व्यय विभाग से दिनांक 03.11.2017 के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25.07 2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया था कि माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में लेखा वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए तदर्थ बोनस के भुगतान के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। तदनुसार, उपरोक्त स्थिति से सभी आईआईटी को दिनांक 03.10.2018 के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था।"

(ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया कि मंत्रालय को इस बारे में एनआईओएस से लेखापरीक्षा पैरा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद पता चला है।

(ग) संस्कृति मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण नहीं मांगा। हालांकि, 25 अक्टूबर 2021 को आयोजित स्थायी वित्त समिति की 39वीं बैठक में, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, एसएफसी के अध्यक्ष ने इस संबंध में मंत्रालय की मौजूदा नीति का पालन करने की सलाह देने के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए थे:

. सोसाइटी तब तक तदर्थ बोनस का कोई और भुगतान नहीं करेगी जब तक कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को ऐसा भुगतान देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया जाता है।

. सोसाइटी लेखापरीक्षा द्वारा अनियमित भुगतान के रूप में की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में भुगतान की गई 38.15 लाख रू. की राशि की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाएगी।"

10. यह पूछे जाने पर कि क्या सीएजी ऑडिट द्वारा इंगित किए जाने से पहले सीएबी के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) ने मामले को हरी झंडी दिखाई थी; उच्चतर शिक्षा विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

"(क) उच्चतर शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया कि इसे आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा चिह्नित नहीं किया गया था। यह मामला तब संज्ञान में आया जब सीएजी ने इसका उल्लेख किया। इस गलती को सुधारने के लिए मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के आदेश के खिलाफ सभी संस्थानों को कर्मचारियों

को भुगतान किए गए तदर्थ बोनस की वसूली करने के निर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में काफी प्रगति हुई है।

**(ख)** संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता में संस्कृति मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अर्थात 'तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान' विषय पर नवंबर, 2020 में मंत्रालय में प्राप्त सीएण्डएजी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट संख्या 2 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 8.1 में लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों से पहले कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।"

11. इस प्रश्न के संबंध में कि सीएबी द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान का निर्णय किस स्तर पर लिया गया, निम्नवत उत्तर दिया गया:

(क) "उच्चतर शिक्षा विभाग:

1. आईआईटी खड़गपुर ने बताया है कि वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए बोनस के भुगतान को संस्थान के निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2. आईआईटी गुवाहाटी ने बताया है कि एड-हॉक बोनस के भुगतान का निर्णय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/निदेशक द्वारा लिया गया था।

3. आईआईएम- संबंधित आईआईएम के बीओजी,(यानी आईआईएम लखनऊ के बीओजी और आईआईएम काशीपुर के बीओजी) ने अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए मंजूरी दे दी थी।

4. केंद्रीय विश्वविद्यालय-अनुमोदन बीबीएयू, बीएचयू, एएमयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंधित कुलपति द्वारा दिया गया था।

5. एमएनएनआईटी, इलाहाबाद और आईआईईएसटी, शिवपुर -निदेशक के अनुमोदन से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के तदर्थ बोनस का भुगतान किया गया।

(ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग: एनआईओएस के सेवा नियम 1994 के अनुसार, एनआईओएस के पास केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस देने की योजना होगी। तद्नुसार, एनआईओएस के कर्मचारियों को उसी प्रकार बोनस का भुगतान किया गया जिस प्रकार वित्त मंत्रालय द्वारा सचिव एनआईओएस के अनुमोदन से जारी परिपत्र के आधार पर 2014-2015 तक किया जा रहा था। तथापि, एमओएफ ने 2015-16 से स्वायत्त निकायों के संबंध में कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया और न ही शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अनुमोदन जारी किया।

(ग) संस्कृति मंत्रालयः एशियाटिक सोसाइटी के विनियम 4 के अनुसार, सोसाइटी का प्रशासन, निर्देशन और प्रबंधन कार्य परिषद को सौंपा गया है। इसके अलावा, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के विनियम 43 के अनुसार, महासचिव, एएसके सोसाइटी के कर्मचारियों और मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण करते हैं। महासचिव सोसाइटी के सभी भुगतान/व्यय को मंजूरी देते हैं। एएसके के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान एएसके के महासचिव द्वारा विनियम 43 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमोदित किया गया था।

12. इसके अतिरिक्त, वित्तीय सलाहकार (एफए) के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर जिसके माध्यम से तदर्थ बोनस के भुगतान से पहले फाइलों को एफए

के माध्यम से भेजा गया था ताकि भविष्य में इस तरह के हालात से बचा जा सके, शिक्षा मंत्रालय/सीएबी ने निम्नवत बताया:

"**(क)** उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया कि सभी ब्यूरो प्रमुखों से जेएस एंड एफए के नोट दिनांक 03.05.2017 के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीएबी को वित्तीय सलाह देने के लिए उचित स्तर पर जीएफआर 2017 के नियम 229 (viii) के तहत एक अधिकारी को नामित करने के लिए सलाह दें, जिसकी सहमति स्वीकृति और व्यय करने के लिए होनी चाहिए।वित्तीय सीमाएँ जिस तक ऐसी सहमति अनिवार्य है, प्रत्येक संगठन द्वारा तैयार की जा सकती है। स्वायत्त निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वायत्त निकायों के समग्र वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।

**(ख)** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया कि एनआईओएस की सेवा नियमावली, 1994 के अनुसार, एनआईओएस के पास केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस देने की योजना होगी। तदनुसान एनआईओएस के कर्मचारियों को उसी प्रकार बोनस का भुगतान किया गया जिस प्रकार वित्त मंत्रालय द्वारा सचिव एनआईओएस के अनुमोदन से जारी परिपत्र के आधार पर 2014-2015 तक किया जा रहा था। तथापि, वित्त्त मंत्रालय ने स्वायत्त निकायों के संबंध में कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया। सचिव, एनआईओएस वित्त विभाग के प्रमुख हैं और 2015-16 से एनआईओएस का कोई अलग एफए नहीं है।

**(ग)** एशियाटिक सोसाइटी,कोलकाता ने बताया कि एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम के विनियमों के पैरा-4क(1) के अनुसार, वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी मामलों पर विचार करने और परिषद को सलाह देने के लिए सोसाइटी की एक स्थायी वित्त समिति होगी जिसमें भारत सरकार के तीन नामांकित

व्यक्तियों पश्चिम बंगाल सरकार के एक नामिती और परिषद के तीन नामांकित व्यक्ति जिनमें महासचिव (पदेन), कोषाध्यक्ष (पदेन) और केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नामितों के अलावा अन्य सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित एक अन्य सदस्य शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थायी वित्त समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष नामित किया जाएगा। स्थायी वित्त समिति के सचिव स्थायी वित्त समिति के सदस्य नहीं होंगे और वे एक ऐसे पूर्णकालिक अधिकारी होंगे जिन्हें नियंत्रक कहा जाएगा तथा जिन्हें केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार तय करेगी। "एएसके द्वारा अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए एसएफसी का पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया था।"

13. यह पूछे जाने पर कि सीएबी से वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है,शिक्षा मंत्रालय/सीएबी ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

(क) "उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया है कि लेखापरीक्षा पैरा में उल्लिखित उच्चतर शिक्षा विभाग के सभी स्वायत्त निकायों ने वसूली शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों को किए गए 15.28 करोड़ रुपये के अनियमित भुगतान में से अब तक 14.03 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। शेष 1.24 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया भी चल रही है।

(ख) एनआईओएस के संबंध में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान तदर्थ बोनस के लिए रुपये 31,41,042/- की कुल राशि का व्यय किया गया जिसके तहत छूट प्राप्त श्रेणी की राशि रु. 24,65,692/- थी। वसूली योग्य कुल राशि 6,75,350 /- रु. है और मार्च 2022 तक 2,45,724/- रुपये की वसूली की गई है।

(ग) एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के कर्मचारियों से वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान की कोई वसूली नहीं की है। तदनुसार, संस्कृति मंत्रालय इस मामले को एएसके के साथ सक्रिय रूप में आगे बढ़ा रहा है।"

14. यह पूछे जाने पर कि शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा ऐसे चूक के लिए उन संस्थानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, इन मंत्रालयों से प्राप्त उत्तर निम्नवत दिये गए हैं:

"(**क**) उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया कि अभी तक किसी संस्थान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भुगतान किए गए तदर्थ बोनस की वसूली पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस संबंध में पर्याप्त प्रगति हुई है।

<u>आईआईटी -</u>

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईआईटी, खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी ने हालांकि कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में क्रमश: 164.95 लाख रुपये और 48.49 लाख रुपये का भुगतान किया था। इस संभाग द्वारा इन दोनों संस्थानों के साथ मामला उठाया गया था। आईआईटी-गुवाहाटी ने दिनांक 8-12-2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि 04.09.2020 को आयोजित अपनी 104 वीं बैठक के दौरान संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नस द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, नवंबर '2020 से कर्मचारियों के वेतन से बोनस राशि की वसूली शुरू कर दी गई है। आईआईटी-खड़गपुर ने दिनांक 28-5-2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि संस्थान ने लेखा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 के दौरान समूह ख, ग और घके

कर्मचारियों को भुगतान किए गए गैर-उत्पादकता संबद्ध (तदर्थ) बोनस की आसान किस्तों में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आईआईएम-

मंत्रालय ने तुरंत संस्थानों को राशि वसूल करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आईआईएम लखनऊ और आईआईएम काशीपुर दोनों ने इनमें से अधिकांश राशि पहले ही वसूल कर ली है और शेष 69,568/- रुपये की राशि मई और जून, 2022 के वेतन से वसूल की जाएगी।

केंद्रीय विश्वविद्यालय:

लेखापरीक्षा पैरा प्राप्त होने पर, मंत्रालय ने संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय (अर्थात बीबीएयू, बीएचयू, एएमयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय) से उन कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों से तदर्थ बोनस के भुगतान की वसूली करने का अनुरोध किया, जिन्हें भुगतान किया गया है। सीयू के विरुद्ध मंत्रालय द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि सीयू ने मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

एमएनएनआईटी, इलाहाबाद और आईआईईएसटी, शिवपुर

जी, हाँ। इस मंत्रालय ने अपने दिनांक 17.10.2018 के पत्र संख्या 4-12/2017-टीएस.III के द्वारा सभी एनआईटी और आईआईईएसटी-शिवपुर को निट्सर अधिनियम, विधियों, जीएफआर, सीवीसी निर्देश और समय-समय पर भारत के सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का सख्ती और ईमानदारी से अनुपालन करने की सलाह दी है। संस्थान को यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की प्रक्रियात्मक चूकों को न दोहराया जाए। तदनुसार, पूरी राशि वसूल कर ली गई है।

**(ख)** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया कि एनआईओएस के अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया है।

**(ग)** एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में वर्ष 2014 तक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का संदर्भ लेते हुए और इस आधार पर कि एएसके के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष है, अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया। तदर्थ बोनस का भुगतान भारत सरकार के किसी विशिष्ट निर्देश के बिना "स्थापना व्यय" श्रेणी के बजट शीर्ष "वेतन के लिए सहायता अनुदान" के तहत संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त निधियों से किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार एएसके से उसके कर्मचारियों को भुगतान किए गए तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान की वसूली करने का अनुरोध किया है। एएसके के साथ इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

15. एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता द्वारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के विशिष्ट कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2014 तक भारत की केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा कर्मचारियों को अलग-अलग जारी बोनस के भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किए। वर्ष 2015-16 के बाद से वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिए ऐसे आदेश जारी नहीं किए गए थे। इसलिए, संस्कृति मंत्रालय ने एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (एएसके) को अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न करने के

संबंध में निर्देश नहीं दिए। तथ्य यह है कि एएसके ने वर्ष 2015-16 से अपने कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देशों को जारी न करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा। हालांकि, एएसके ने भारत सरकार के विशिष्ट निर्देशों के बिना अपने समूह 'ग' (पूर्ववर्ती घ) और समूह ख (अराजपत्रित) कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान किया इस मामले में वर्ष 2021 की सीएण्डएजी की रिपोर्ट संख्या 2 की लेखापरीक्षा पैरा संख्या 8.1 पर टिप्पणियां इस मंत्रालय में नवंबर, 2020 में प्राप्त हुई थीं। उस समय, संस्कृति मंत्रालय लगातार क्रमशः दिनांक 25.11.2020, 24.02.2021, 26.03.2021, 08.07.2021 और 20.12.2021 के पत्र/ईमेल के माध्यम से एएसके के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रहा है

एएसके ने अपने पत्र दिनांक 22.02.2022 के पत्र द्वारा तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान विषय पर लेखापरीक्षा पैरा पर संस्कृति मंत्रालय को की गई कार्रवाई टिप्पण (एटीएन) प्रस्तुत किया। उक्त एटीएन में, एएसके ने बताया था कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान उसके कर्मचारियों को बोनस का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था कि सोसाइटी (एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय) के कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे आदेश केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए नहीं थे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष हैं

संस्कृति मंत्रालय एएसके के इस तर्क से सहमत नहीं था क्योंकि यह पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है और एएसके के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष नहीं हैं। मंत्रालय ने तदनुसार एएसके से दिनांक 08.03.2022 के पत्र और दिनांक 06.04.2022 और 22.04.2022 के अनुस्मारक के माध्यम से बोनस की वसूली शुरू करने, जिसका भुगतान उसके कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के किसी विशिष्ट

आदेश/ निर्देश से किया गया था तथा मंत्रालय को एटीएन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। एएसके ने अपने दिनांक 22.04.2022 के पत्र के माध्यम से अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पहले ही भुगतान किए गए बोनस को बिना कोई नया कारण/ औचित्य बताए वापस नहीं लेने का अनुरोध किया था। एएसके के दिनांक 22.04.2022 के अनुरोध की मंत्रालय में जांच की गई थी और एएसके को दिनांक 02.05.2022 को अपने कर्मचारियों को प्रदत्त बोनस की वसूली का मामला निपटाने के बाद लंबित लेखापरीक्षा पैरा पर एटीएन प्रस्तुत करने का एक बार फिर से अनुरोध किया गया

16. यह पूछे जाने पर कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को विश्वास में लिए बिना भविष्य में इस तरह की प्रथाओं को नहीं दोहराने के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और विशेष रूप से सीएबी को कोई दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए हैं शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर दिया कि:-

यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिनांक 18.10.2017 के पत्र संख्या एफ. 25-4/2007 (सीयू) पार्टफाइल इस अनुरोध के साथ जारी किया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान तब तक नहीं किया जाए जब तक भारत सरकार द्वारा इसे स्वायत्त निकायों के लिए विस्तारित नहीं किया जाता है और यदि विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए पहले ही बोनस का भुगतान कर दिया है, तो विश्वविद्यालय संबंधित कर्मचारियों से वसूली करे। अब इस कार्यालय के दिनांक 03.06.2022 के पत्र के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करने वाला एक अनुस्मारक ईमेल के माध्यम से भेजा गया है।

17. आईआईएम-काशीपुर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी के मामले में तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान की वसूली की वर्तमान स्थिति के संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी निम्नवत है:-

| क्र. सं. | शिक्षा मंत्रालय के विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम | वितरित किए गए तदर्थ बोनस की राशि | वसूली गई तदर्थ बोनस की राशि | वसूल की जाने वाली शेष राशि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आईआईएम -काशीपुर | 4.73 लाख रु. | 2.98 लाख रु. | 1.75 लाख रु. | वसूली प्रक्रियाधीन है और जून, 2022 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। |
| 2 | आईआईटी-खड़गपुर | 172.11 लाख रु. | 50.06 लाख रु. | 122.05 लाख रु. | वसूली प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | आईआईटी-गुवाहाटी | 48.77 लाख रु. | 47.64 लाख रु. | 01.13 लाख रु. | वसूली प्रक्रियाधीन है। |

18. जब यह पूछा गया कि क्या सीएबी ने ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई आंतरिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, मंत्रालयों/सीएबी के उत्तर निम्नवत हैं:-

(क) उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत सीएबी-

<u>आईआईटी - आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी, गुवाहाटी</u>

आईआईटी खड़गपुर ने बताया है कि वर्तमान में संस्थान में एक आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग है जो संस्थान के नीतिगत मामलों को भी देखता है और यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान ने मैसर्स रे एंड रे चार्टर्ड एकाउंटेट को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है जो वित्तीय मामलों पर संस्थान स्वतंत्र सलाहकार हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने बताया है कि वे ऐसे किसी भी मामले पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।

## आईआईएम- आईआईएम, लखनऊ और आईआईएम, काशीपुर

आईआईएम-लखनऊ और आईआईएम-काशीपुर में उनके अपने लेखापरीक्षा विभाग हैं।

## केंद्रीय विश्वविद्यालय-बीबीएयू, बीएचयू, एएमयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय

केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने वित्त विभागों को भविष्य में इस तरह के मामलों में और अधिक सावधान रहने के लिए कहा है। तदर्थ बोनस के भुगतान के मुद्दे पर सभी सीयू के एफसी और ईसी में चर्चा की गई थी और संबंधित वित्त अधिकारी (एफओ) ने वसूली की प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की थी।

## एमएनएनआईटी, इलाहाबाद

संस्थान ने बताया है कि संस्थान ने निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए हैं:

() संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ (आईए सेल) की स्थापना की गई है।

() सभी बोनस और भुगतान संबंधी फाइलें आईए सेल के माध्यम से भेजी जाती हैं।

भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आईए सेल द्वारा वार्षिक आधार पर संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है।

(ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बताया है कि एनआईओएस के सक्षम प्राधिकारी ने स्थापना विभाग के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध को एमओएफ/एमओई के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है और इस प्रकार का भुगतान करने से पहले सभी प्रस्तावों का पूर्व-लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

(ग) संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि एशियाटिक सोसाइटी के विनियम 4ए(1) के अनुसार, वित्तीय प्रभाव वाले सभी मामलों पर विचार करने और परिषद (एएसके) को सलाह देने के लिए सोसाइटी की एक स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) है। एसएफसी के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा एसएफसी के अन्य सदस्यों में से नामित किया जाता है एशियाटिक सोसाइटी, के विनियम 4क(1) के अनुसरण में संस्कृति मंत्रालय ने दिनांक 09.06.2021 के पत्र द्वारा (i) एएसएंडएफए/जेएसएंडएफए संस्कृति मंत्रालय; (ii) महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता और और (iii) निदेशक, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता को वर्ष 2020-22 के लिए एसएफसी में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया। एसएफसी की अध्यक्षता संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (जेएसएंडएफए) करते हैं।

एएसके ने 25 अक्टूबर, 2021 को आयोजित स्थायी वित्त समिति की 39 वीं बैठक में कार्यसूची मद के रूप में सीएजी की 2021 की रिपोर्ट संख्या 2 की लेखापरीक्षा पैरा संख्या 8.1 पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को प्रस्तुत किया। एसएफसी ने टिप्पणियों को नोट किया। एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के महासचिव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में देय वेतन और सभी अन्य प्रासंगिक लाभों के संबंध में स्वायत निकायों के कर्मचारियों की

स्थिति को परिभाषित करने में स्पष्टता होनी चाहिए हालांकि, चर्चा के बाद संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, एसएफसी के अध्यक्ष ने इस संबंध में मंत्रालय की मौजूदा नीति का अनुपालन करने की सलाह दी और निम्नलिखित निर्देश दिएः

(i) सोसाइटी तब तक तदर्थ बोनस का कोई और भुगतान नहीं करेगी जब तक कि केंद्रीय स्वायत निकायों के कर्मचारियों को ऐसा भुगतान देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(ii) सोसाइटी लेखापरीक्षा द्वारा अनियमित भुगतान के रूप में दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में भुगतान की गई 38.15 लाख रु. की राशि की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

एएसके ने 25 अक्टूबर, 2021 को आयोजित एसएफसी की उक्त 39" वीं बैठक के कार्यवृत्त को 29 दिसंबर 2021 को हुई परिषद की बैठक में उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया। परिषद ने 25 अक्टूबर, 2021 को आयोजित एसएफसी की 39 वीं बैठक में पारित संकल्प पर विचार किया तथा उसे नोट किया। इसके परिणामस्वरूप और मंत्रालय द्वारा सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के तहत, एएसके ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए बोनस का आगे भुगतान रोक दिया है। चूंकि, एएसके ने अभी तक अपने कर्मचारियों को 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए किए गए तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान की वसूली शुरू नहीं की है, इसलिए, वसूली शुरू करने और मंत्रालय को एटीएन प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय द्वारा एएसके के साथ इस मामले पर जोर-शोर से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है

19. इस प्रश्न के संबंध में कि क्या मंत्रालयों/सीएबी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है कि लाभ से संबंधित सभी आदेश वित्त मंत्रालय से प्राप्त होने के बाद ही जारी किए जायें, प्राप्त लिखित उत्तर निम्नवत हैं:

(क) उच्चतर शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया कि इस विभाग के नियंत्रणाधीन सभी सीएबी को एमओएफ/एमओई के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। व्यय विभाग द्वारा स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी भत्तों का लाभ इस मंत्रालय के आईएफडी की सहमति से स्वीकृत किया जा रहा है।

(ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।

(ग) संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि लाभ के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और सभी संगठनों (एएसके सहित) को परिचालित किए जाते हैं।

-----------

## भाग-दो

## टिप्पणियां/सिफारिशें

भारत सरकार ग्रुप सी के केंद्र सरकार के कर्मचारियों और ग्रुप बी के सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए एक विशेष लेखा वर्ष के लिए कुछ दिनों के परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) देती है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, इस संबंध में आदेश जारी करता है। उत्पादकता असंबद्ध बोनस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों और संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को भी दिया जाता है। उत्पादकता असंबद्ध बोनस के मद में किए गए व्यय को उस वित्त वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान से पूरा किया जाता है।

2. समिति नोट करती है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस देने के आदेश जारी किए थे। हालांकि, व्यय विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। इसके बावजूद, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और संस्कृति मंत्रालय के तहत 13 केंद्रीय स्वायत्त निकायों ने वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अपने कर्मचारियों को 15.87 करोड़ रुपये के तदर्थ बोनस का भुगतान किया। समिति यह भी पाती है कि शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस जारी करने से पहले न तो अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुमोदन मांगा और न ही व्यय विभाग से कोई स्पष्टीकरण मांगा। समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि सीएबी ने अपने कर्मचारियों को उसी तरह बोनस का भुगतान किया था जैसा कि वर्ष 2014-

15 तक किया जा रहा था। समिति ने इस चूक को सीएबी की ओर से स्पष्ट रूप से प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक लापरवाही माना। इसलिए, समिति चाहती है कि इस चूक से संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएं ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। समिति यह भी चाहती है कि शिक्षा मंत्रालय को व्यय प्रवाह की गहन निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि बजट स्वीकृति/नियंत्रण प्राधिकारियों के स्तर पर ही ऐसी खामियों की समय से पहचान की जा सके। इसके अलावा, बजट नियंत्रक अधिकारियों को भी किसी भी राशि को स्वीकृति देने से पहले अधिक सतर्क रहना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर, उन्हें चूक के ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

3. समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता, जोकि संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है, ने न केवल वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान को उचित ठहराया है, बल्कि बाद के दो वर्षों के लिए अर्थात वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए अनियमित बोनस का निरंतर भुगतान भी किया है। इसके अतिरिक्त, समिति यह नोटकर आश्चर्यचकित है कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इस मुद्दे को उठाने और समिति द्वारा इस विषय की बाद में जांच किए जाने के बाद भी अपने कर्मचारियों से तदर्थ बोनस के गैर-अनुमोदित अनियमित भुगतान की वसूली अभी तक शुरू नहीं की है। यह नोट करना और भी चिंताजनक है कि एशियाटिक सोसाइटी ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस मामले के संबंध में बार-बार पूछे जाने पर भी उत्तर नहीं दिया है। समिति के अनुसार, यह एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के साथ-साथ संस्कृति मंत्रालय की स्पष्ट लापरवाही को दर्शाता है। संस्कृति मंत्रालय इस मामले में नोडल मंत्रालय होने के नाते पूरे मुद्दे की जिम्मेदारी नहीं लेने से खुद को दोषमुक्त नहीं कर सकता है। समिति, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता द्वारा अपने कर्मचारियों को

तदर्थ बोनस के ऐसे अनियमित भुगतान की निगरानी में मंत्रालय द्वारा दिखाई गई ढिलाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। समिति के विचार से, संस्कृति मंत्रालय को ऐसे मुद्दे की समय पर निगरानी करनी चाहिए और उपचारात्मक/दंडात्मक उपाय करने चाहिए। अतः, समिति, सिफारिश करती है कि संस्कृति मंत्रालय को एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान करना अनियमित है और उन्हें यथाशीघ्र भुगतान किए गए तदर्थ बोनस की वसूली के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

समिति यह भी पाती है कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में वर्ष 2014 तक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का संदर्भ लेते हुए और इस आधार पर कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष हैं, अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया। हालांकि, संस्कृति मंत्रालय, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के इस तर्क से सहमत नहीं था क्योंकि यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय है और एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष नहीं हैं। समिति यह देखने को बाध्य है कि एशियाटिक सोसाइटी के विनियम 4क(1) के अनुसार, वित्तीय प्रभाव वाले सभी मामलों पर विचार करने और परिषद (एएसके) को सलाह देने के लिए सोसाइटी की एक स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) है। एसएफसी ने एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता को सलाह दी थी कि जब तक वित्त मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक सोसाइटी तदर्थ बोनस का और भुगतान नहीं करेगी। एसएफसी ने यह भी बताया कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में कर्मचारियों को भुगतान की गई ₹38.15 लाख की राशि की वसूली के लिए तत्काल

कदम उठाएगी। चूंकि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने अब तक अपने कर्मचारियों को बोनस के अनियमित भुगतान की वसूली शुरू नहीं की है, समिति सिफारिश करती है कि एसएफसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता अपने कर्मचारियों से ₹ 38.15 लाख के अनियमित भुगतान की वसूली के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए, ऐसा नहीं करने पर, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के बजट नियंत्रक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि लाभ संबंधी सभी आदेश वित्त मंत्रालय से आदेश प्राप्त होने के बाद ही जारी किए जाएं।

4. समिति नोट करती है कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता को छोड़कर शेष 12 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के संबंध में अनियमित भुगतान की वसूली या तो पूरी हो चुकी है या आंशिक रूप से वसूल कर ली गई है। हालांकि, समिति पाती है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान-काशीपुर और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने आरंभ में यह तर्क दिया था कि उन्होंने केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया था और वे आंशिक रूप से या पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं थे, इसलिए, उनके पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान सही था। भारतीय प्रबंधन संस्थान-गुवाहाटी ने प्रत्युत्तर दिया कि उसके कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए दिए गए बोनस को उसके स्वयं की विकास निधि के साथ समायोजित किया जाएगा। इसी तरह, भारतीय प्रबंधन संस्थान-खड़गपुर ने लेखापरीक्षा को पहले बताया था कि वर्ष 2017-18 के लिए, तदर्थ बोनस को संस्थान ने स्वयं के संसाधनों से संवितरित किया गया था। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के साथ केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान अपने पात्र कर्मचारियों

को अपने स्वयं के संसाधनों/निधि से तदर्थ बोनस के भुगतान के संबंध में एक औचत्यपूर्ण विकल्प/समाधान खोजने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करना चाहिए।

5. समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि इस मामले को शिक्षा मंत्रालय/सीएबी के साथ-साथ संस्कृति मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा भी इतनी लंबी अवधि तक नहीं उठाया गया था। समिति यह नोटकर आश्चर्यचकित है कि यह मामला उपर्युक्त मंत्रालयों/सीएबी के संज्ञान में भी तब आया जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा इसे इंगित किया गया था। समिति महसूस करती है कि भविष्य में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उक्त मंत्रालयों/सीएबी में मौजूदा आंतरिक नियंत्रण के साथ-साथ बजटीय तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालयों/सीएबी में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंधों को सुदृढ़ किया जाए ताकि ऐसे बड़े वित्तीय निहितार्थ के मामले इतनी लंबी अवधि तक जानकारी में आए बिना पड़े न रहें। समिति का यह विचार है कि यदि इन मुद्दों को मंत्रालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध और संबंधित सीएबी द्वारा इंगित किया गया होता, तो कर्मचारियों को भुगतान के पहले वर्ष के दौरान ही बोनस का अनियमित भुगतान रोक दिया गया होता। यह भुगतान आगामी 2-3 वर्षों तक नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, समिति यह आशा करती है कि शिक्षा मंत्रालय/संस्कृति मंत्रालय/सीएबी के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, राजकोष को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ऐसे मामलों का समय पर पता लगाने में अधिक सतर्क और तत्पर रहें। इसके अलावा, सभी सीएबी में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्थापित किया जाए और सभी बोनस और भुगतान संबंधी फाइलों को इस स्कंध के माध्यम से भेजा जाए और भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर आईएडब्ल्यू द्वारा संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा की जाए। समिति यह भी चाहती है कि किसी भी वित्तीय

निर्णय को मंजूरी देने से पहले केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्त प्रभाग और संबंधित मंत्रालयों तथा वित्त मंत्रालय के बीच समन्वय के लिए स्थापित नवीनतम तंत्र से अवगत कराया जाये।

6. भुगतान किए गए अनियमित तदर्थ बोनस की वसूली के संबंध में, समिति ने पाया कि एनआईओएस के कर्मचारियों से वसूले जाने वाले कुल 6,75,350 ₹ में से 4,29,626 ₹ अभी भी वसूल किए जाने हैं। दिनांक 29.04.2022 को आयोजित साक्ष्य के दौरान एनआईओएस के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि उसके कर्मचारियों को दिए गए तदर्थ बोनस की वसूली के लिए 20 किस्तें दी गई हैं। जिसमें से पांच किश्तों में 2,45,724 रुपये की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि, जो कि 4,29,629 ₹ है, की वसूली चल रही है और यथासमय की जाएगी। समिति यह जानना चाहती है कि 20 किश्तों में राशि वसूल करने का निर्णय कब लिया गया था, किस स्तर पर यह निर्णय लिया गया था और क्या एनआईओएस ने इस निर्णय के बारे में वित्त मंत्रालय को अवगत कराया था। समिति बकाया राशि की वसूली की वर्तमान स्थिति भी जानना चाहती है और आग्रह करती है कि इसे जल्द से जल्द वसूल किया जाए।

7. इसके अलावा, समिति ने लेखापरीक्षा पैरा से पाया कि एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने तीन वर्ष यानी 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए कुल 38.15 लाख रुपए के तदर्थ बोनस का भुगतान किया है। हालाँकि, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया था कि नवंबर,2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इस विषय में इंगित किए जाने की परवाह किए बिना वर्ष 2021-22 तक एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता भुगतान कर रहा था। एएसके ने फरवरी, 2022 में और आगे का भुगतान रोक दिया था। समिति यह देखकर हतप्रभ है कि फरवरी, 2022 तक एएसके द्वारा भुगतान की गई तदर्थ बोनस की राशि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2020 में

की गई अपनी समीक्षा में बताई गई राशि से कहीं अधिक होगी। समिति चाहती है कि फरवरी, 2022 तक भुगतान किए गए तदर्थ बोनस की कुल राशि और उसकी वसूली से उसे अवगत कराया जाए।

समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या एएसके द्वारा फरवरी, 2022 तक तदर्थ बोनस के भुगतान का मामला संस्कृति मंत्रालय के संज्ञान में था, यदि हां, तो मंत्रालय ने वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक के अवधि के बीच ऐसे भुगतान को रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? चूंकि, यह पूरी तरह से सरकारी धन था, संस्कृति मंत्रालय एएसके को इतनी लंबी अवधि (2015-16 से 2021-22 तक) के लिए अनियमित रूप से इसका विस्तार करने की अनुमति कैसे दे सकता है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संस्कृति मंत्रालय का एएसके के खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह समिति के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि एएसके ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने, और संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से मामले को उनके साथ जाने पर उचित विचार किए बिना 7 साल की लंबी अवधि के लिए तदर्थ बोनस का भुगतान किया था।
समिति यह सिफारिश करती है कि अब से, संस्कृति मंत्रालय और एएसके में बजटीय निगरानी, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए और भविष्य में अनियमित व्यय पर नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। समिति भविष्य में मंत्रालय की अनुमति के बिना आवर्ती रूप से किए गए किसी भी अनियमित व्यय के मामले में संस्कृति मंत्रालय से अपने स्वायत्त निकायों के अनुदान को रोकने के लिए भी आग्रह करती है।

8. समिति यह नोट करके चकित है कि दिनांक 25/11/2020, 24/02/2021, 26/03/2021, 08/07/2021 और 20/12/2021 के पत्रों/ईमेल के माध्यम से समय-समय पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा उनके साथ मामले पर आगे बात किए जाने के बावजूद एएसके द्वारा अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है । चूंकि एएसके द्वारा कोई वसूली नहीं की गई थी, इसलिए संस्कृति मंत्रालय ने दिनांक 08/03/2022 के अपने पत्र के माध्यम से भुगतान किए गए तदर्थ बोनस की वसूली शुरू करने के लिए एएसके से फिर से अनुरोध किया। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि चूंकि, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एएसके को हर महीने निर्देश जारी करने से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, इसलिए समिति को लगता है कि मंत्रालय को एएसके के बजट अधिकारियों के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए थे। समिति यह नोट करके क्षुब्द है कि एएसके ने अपने पत्र 22/04/2022 के द्वारा संस्कृति मंत्रालय से अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के लिए पहले से भुगतान किए गए बोनस के माफ करने का अनुरोध किया है। जबकि इसका कोई कारण/औचित्य नही बताया है। समिति को सूचित किया गया है कि संस्कृति मंत्रालय ने एएसके के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उसे अपने कर्मचारियों को भुगतान किए गए बोनस की वसूली के बाद की-गई-कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत करने के लिए कहा। समिति यह नोट करके हैरान है कि तदर्थ बोनस की वसूली के लिए एएसके को कई बार याद दिलाए जाने के बावजूद स्थिति अभी भी वही है, जो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एएसके द्वारा मामले का गंभीरता से समाधान नही किया गया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए में एएसके के उदासीन रवैये की निंदा करते हुए, समिति एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता को अपने कर्मचारियों से बोनस के अनियमित भुगतान को बिना समय गंवाए वसूल करने की सिफारिश करती है और ऐसा न करने पर एएसके के महासचिव जिन्होंने सोसाइटी के समस्त भुगतान/व्यय को मंजूरी दी की जिम्मेदारी तय की जाए ऐसा

न करने पर उन्हें उचित दण्ड दिया जाए। समिति चाहती है कि संसद में इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के एक महीने के भीतर एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता से वसूली के ब्यौरे से उसे अवगत कराया जाए।

9. समिति शिक्षा/संस्कृति मंत्रालय के उत्तरों से पाती है कि स्वायत्त निकायों द्वारा अपने कर्मचारियों को अनियमित तदर्थ बोनस देने का निर्णय उच्च स्तर अर्थात संबंधित स्वायत्त निकाय के कुलपति, निदेशक और महासचिव के स्तर पर लिया गया था। ये सारे निर्णय वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना लिए गए थे। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना, शिक्षा/संस्कृति मंत्रालय ने स्वायत्त निकायों को अपने कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस का भुगतान करने के लिए धन जारी कैसे किया और उन्हें किस लेखा शीर्ष के तहत अनुदान जारी किए जा रहे थे। समिति यह जानना चाहती है कि क्या इस तरह के तदर्थ बोनस को स्वीकृत/जारी करने के लिए उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कोई जिम्मेदारी तय की गई है। चूँकि, तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान का पूरा प्रकरण उक्त मंत्रालयों/स्वायत्त निकायों में संबंधित अधिकारियों की ओर से वित्तीय लापरवाही और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है, इसलिए समिति चाहती है कि भविष्य में ऐसी चूकों से बचने के लिए मंत्रालयों /स्वायत्त निकायों को प्रभावी राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने और राजकोष को इस तरह के नुकसान से बचाने के लिए व्यय के प्रवाह की समीक्षा करने के लिए मासिक बैठकें करनी चाहिए। समिति का पुनः मानना है कि यदि मंत्रालयों/स्वायत्त निकायों के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध द्वारा इस तरह के मुद्दे पर ध्यान दिया गया होता तो होने वाले नुकसान से बचा जा सकता था। इसलिए, समिति चाहती है कि शिक्षा/संस्कृति मंत्रालय को अपने आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियों का समय पर पता लगाया जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

नई दिल्ली;<br>
3 अप्रैल, 2023<br>
13 चैत्र, 1945 (शक)

अधीर रंजन चौधरी<br>
सभापति,<br>
लोक लेखा समिति